



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

# बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ 1935 (श०)  
(सं० पटना 412) पटना, शुक्रवार, 24 मई 2013

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

24 मई 2013

सं० एल०जी०-१-१/२०१३/लेज ८७—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 17 मई, 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव ।

(बिहार अधिनियम 8, 2013)

## बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2013

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 (बिहार अधिनियम 15, 1995) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**—(1) यह अधिनियम, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

**2. बिहार अधिनियम 15, 1995 की धारा-3 में संशोधन।**—बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-3 (1) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, यथा—

‘परन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार, स्नातक स्तर के किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए, संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से पृथक परीक्षा लेने का निर्णय ले सकेगी।’

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

---

24 मई 2013

सं० एल०जी०-१-१/२०१३/८८/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 मई, 2013 को अनुमत बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-३४८ के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

**[Bihar Act 8,2013]**

**The Bihar Combined Entrance Competitive Examination (Amendment) Act, 2013**

AN  
ACT

To amend the Bihar Combined Entrance Competitive Examination Act 1995 (Bihar Act 15, 1995)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty Fourth year of the Republic of India as follows:-

**1. Short Title, Extent and Commencement.**—(1) This Act may be called The Bihar Combined Entrance Competitive Examination (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall extend to the whole of State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

- 
2. **Amendment in Section 3 of the Bihar Act 15, 1995.**—The following proviso shall be added after section 3(1) of the Bihar Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995:-

"Provided that in special circumstances, the State Government may take decision to take separate examination from the Combined Entrance Competitive Examination for entry to the first year of graduate level of a particular course."

By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA,  
*Secretary to the Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 412-571+400-३०८०८०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>